अध्याय-III

शहरी स्थानीय निकायों के लेखे एवं वित्त का विहंगावलोकन

3.1 प्रस्तावना

1992 में 74[वें] संशोधन के परिणामस्वरूप, संविधान में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेडजी जोडे गए जिससे विधान मंडल नगर पालिकाओं को निश्चित शक्तियां एवं कर्तव्य प्रदान कर सके ताकि वे स्वायत्तशासी संस्थाओं की तरह कार्य करने के योग्य बन सके और संविधान की बारहवीं अनुसूची में वर्णित मदों सहित उनको प्रदत्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके। सभी प्रचलित नगर पालिका कानूनों एवं अधिनियमों को निरस्त करते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम (रानपाअ), 2009 अधिनियमित किया गया।

2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान राज्य की कुल जनसंख्या 6.86 करोड़ थी। राज्य की शहरी जनसंख्या 1.71 करोड़ थी, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 24.93 प्रतिशत थी। राजस्थान राज्य में, 31 मार्च 2012 को 184 शहरी स्थानीय निकाय (शस्थानि) अर्थात पांच नगर निगम[1] (ननि), 13 नगर परिषद[2] (नप) और 166 नगर पालिका मंडल[3] (नपामं) थे। राजस्थान राज्य में शस्थानि के गत निर्वाचन नवम्बर 2009 से फरवरी 2011 के दौरान पांच चरणों में हुए थे।

3.2 संगठनात्मक ढांचा

शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों को देखने वाला प्रशासनिक विभाग स्वायत्त शासन विभाग (स्वाशावि) है। शस्थानि के साथ राज्य सरकार की प्रशासनिक मशीनरी का संयुक्त संगठनात्मक ढांचा **चार्ट 3.1** में नीचे दिया गया है :

1. नगर निगम : अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और कोटा।
2. नगर परिषद : अलवर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, हनुमानगढ़, झुन्झुनूं, किशनगढ़, पाली, सीकर, श्रीगंगानगर, टोंक और उदयपुर।
3. नगर पालिका मंडल : वर्ग-II (50,000-99,999 जनसंख्या वाले) - 36, वर्ग-III (25,000-49,999 जनसंख्या वाले) - 58 और वर्ग-IV (25,000 से कम जनसंख्या वाले) - 72।

चार्ट 3.1 : शस्थानि का संगठनात्मक ढांचा

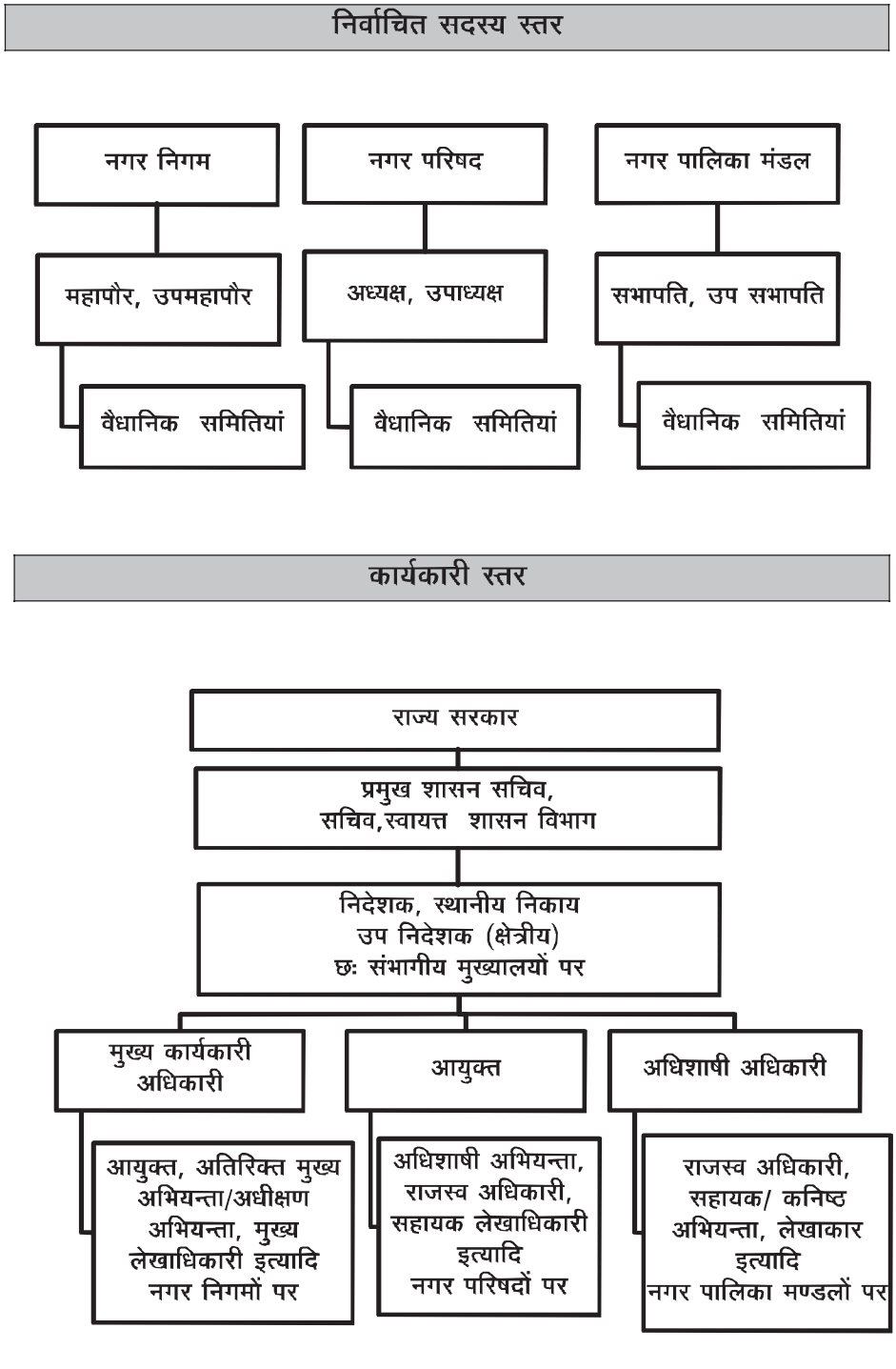

वित्तीय प्रबन्धन

3.3 प्राप्तियां एवं व्यय

3.3.1 प्राप्तियां

2006-07 से 2010-11 के दौरान शस्थानि[4] के विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्राप्तियों की स्थिति नीचे **तालिका 3.1** में तथा शस्थानि की प्राप्तियों एवं व्यय का विभाजन **तालिका 3.2** में दिया गया है:

तालिका 3.1 : शस्थानि की प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियों के स्त्रोत	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
(क) निजी राजस्व					
(अ) कर राजस्व					
(i) गृह कर	19.50	8.38	7.03	39.90	17.59
(ii) शहरी विकास कर[5]	-	-	11.99	21.61	38.94
(iii) चुंगी/मार्गस्थ शुल्क	2.50	3.66	4.00	54.49	25.51
(iv) वाहन कर	0.24	2.59	0.67	0.46	0.20
(v) यात्री कर	2.24	2.73	2.02	2.23	3.52
(vi) सीमान्त कर	0.14	0.54	0.12	0.10	0.08
(vii) अन्य कर	2.94	4.97	3.00	4.42	21.26
(viii) आऊटसोर्सिंग	-	-	-	41.13	44.33
कुल कर राजस्व (अ)	**27.56 (2.31)**	**22.87 (1.53)**	**28.83 (1.54)**	**164.34 (7.55)**	**151.43 (7.38)**
(ब) गैर-कर राजस्व [6]					
(i) उप-विधियों से राजस्व	70.21	67.93	68.30	83.72	99.39
(ii) परिसम्पत्तियों से राजस्व	13.55	14.42	17.22	46.43	26.75
(iii) अधिनियमों से राजस्व	13.25	18.93	18.37	35.06	49.05
(iv) शास्तियों से राजस्व	4.15	6.71	6.09	8.66	11.73
(v) जलकार्य से राजस्व	0.25	1.06	2.30	1.84	0.32
(vi) विनियोगों पर ब्याज	7.15	61.37	14.21	8.61	22.13
(vii) विविध गैर-कर राजस्व	50.30	63.96	91.92	81.85	56.29
(viii) भूमि विक्रय	141.67	210.38	249.33	210.52	305.34

4. नपामं : अकलेरा, बांदीकुई, बाड़मेर, भीनमाल, चाकसू, डीग, देशनोक, गंगापुर, हिण्डौन, किशनगढ़-रेनवाल, लक्षमणगढ़, मालपुरा, मण्डावा, नावां, परबतसर, पिण्डवाड़ा, पीपाड़सिटी, सांचौर, सिरोही, सुरजगढ़ एवं वैर के अलावा (वर्ष 2010-11 की प्राप्तियों (सिरोही की छोड़कर) एवं व्यय की सूचना निदेशालय, स्थानीय निकाय, जयपुर में प्राप्त नहीं थी।
5. 24 फरवरी 2007 से गृह कर समाप्त करने पर 29 अगस्त 2007 से शहरी विकास कर प्रारम्भ किया गया था।
6. अधिनियमों एवं उपविधियों के तहत आय, परिसम्पत्तियों से आय, भूमि विक्रय, विनियोजनों पर ब्याज और विविध आवर्ती व्यय।

प्राप्तियों के स्त्रोत	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
कुल गैर-कर राजस्व (ब)	**300.53 (25.15)**	**444.76 (29.84)**	**467.74 (24.91)**	**476.69 (21.89)**	**571.00 (27.83)**
कुल निजी राजस्व (क)	**328.09 (27.46)**	**467.63 (31.37)**	**496.57 (26.45)**	**641.03 (29.44)**	**722.43 (35.21)**
(ख) अभ्यर्पित राजस्व (मनोरंजन कर)	- -	- -	**3.00 (0.16)**	**7.12 (0.33)**	**7.21 (0.35)**
(ग) अनुदान एवं ऋण					
(i) सामान्य एवं विशेष अनुदान	44.80	41.93	65.27	51.91	40.87
(ii) चुंगी की एवज में अनुदान	544.46	566.64	627.65	747.70	754.09
(iii) विशेष सहायता एवं ऋण	160.35	254.68	417.37	484.79	351.67
कुल अनुदान एवं ऋण (ग)	**749.61 (62.74)**	**863.25 (57.91)**	**1,110.29 (59.13)**	**1,284.40 (58.99)**	**1,146.63 (55.90)**
(घ) विविध अनावर्ती आय[7]	**117.02 (9.80)**	**159.80 (10.72)**	**267.81 (14.26)**	**244.62 (11.24)**	**175.11 (8.54)**
महायोग (क से घ)	**1,194.72***	**1,490.68***	**1,877.67**	**2,177.17**	**2,051.38**

(स्त्रोत : निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अनुसार)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल प्राप्तियों से प्रतिशतता दर्शाते हैं।

* 2006-07 के आंकड़ों में बारहवें वित्त आयोग और तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत जारी अनुदान और 2007-08 के आंकड़ों में तृतीय राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी अनुदान सम्मिलित नहीं हैं जैसा कि क्रमशः राज्य सरकार (अप्रैल 2010) एवं मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर (अगस्त 2010) द्वारा सूचित किया गया।

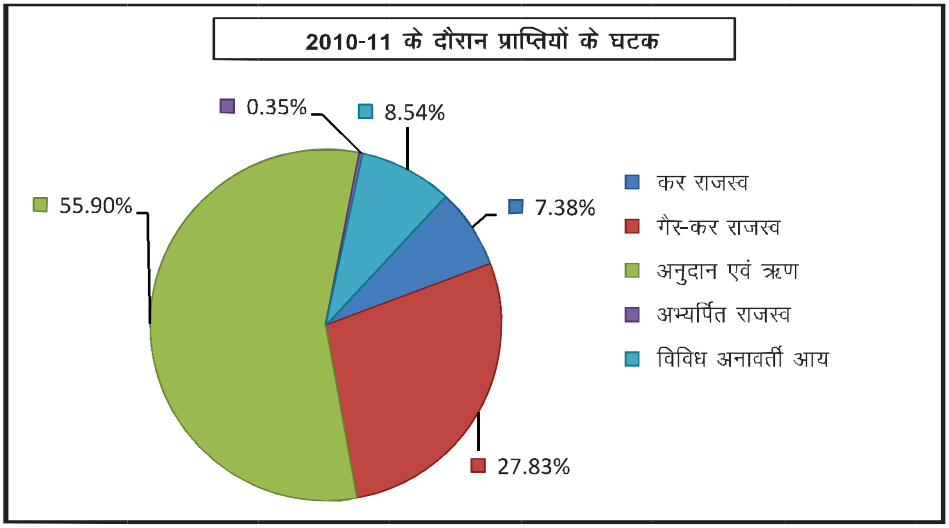

7. इसमें जमा एवं ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली सम्मिलित है।

तालिका 3.2 : शस्थानि की प्राप्तियों एवं व्यय का विभाजन

(₹ करोड़ में)

शस्थानि की श्रेणी	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2009-10 के सापेक्ष 2010-11 में कमी (-)/ वृद्धि (+) की प्रतिशतता	
	प्राप्तियां	व्यय	प्राप्तियां	व्यय	प्राप्तियां	व्यय	प्राप्तियां	व्यय	प्राप्तियां	व्यय
(क) नगर निगम										
(i) अजमेर*	-	-	55.43	54.13	48.65	55.13	79.67	60.91	(+)63.76	(+)10.48
(ii) बीकानेर*	-	-	49.97	42.60	37.10	37.92	42.91	42.30	(+)15.66	(+)11.55
(iii) जयपुर	389.24	326.99	457.56	486.50	400.30	367.54	369.30	342.23	(-)7.74	(-)6.89
(iv) जोधपुर	62.77	65.42	84.46	71.18	93.28	110.09	115.43	109.33	(+)23.75	(-)0.69
(v) कोटा	85.74	76.95	85.52	96.22	89.45	95.53	120.38	80.04	(+)34.58	(-)16.21
योग (क)	**537.75**	**469.36**	**732.94**	**750.63**	**668.78**	**666.21**	**727.69**	**634.81**	**(+)8.81**	**(-)4.71**
(ख) नगर परिषद	274.04	272.07	338.87	347.98	353.71	342.68	427.74	384.53	(+)20.93	(+)12.21
(ग) नगर पालिका मंडल	678.89	602.64	805.86	715.14	1,154.68	1,241.05	895.95	803.99	(-)22.41	(-)35.22
कुल योग (क + ख + ग)	**1,490.68**	**1,344.07**	**1,877.67**	**1,813.75**	**2,177.17**	**2,249.94**	**2,051.38**	**1,823.33**	**(-)5.78**	**(-)18.96**

(स्त्रोत : निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अनुसार)

* *ननि, अजमेर तथा बीकानेर क्रमशः जुलाई 2008 एवं अगस्त 2008 से अस्तित्व में आए, इसलिए इन नगर निगमों के संबंध में वर्ष 2007-08 के आंकड़े नगर परिषदों में सम्मिलित किए गए हैं।*

उपर्युक्त वित्तीय प्रवृत्तियां इंगित करती है कि :

- निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए प्राप्तियों और व्यय के आंकड़े उसी वर्ष के लेखों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण उपलब्ध नहीं कराए थे।

- शस्थानि केन्द्र और राज्य सरकारों के अनुदानों और ऋणों पर निर्भर थे, जो कि 2006-07 से 2010-11 के दौरान कुल प्राप्तियों का 55.90 प्रतिशत से 62.74 प्रतिशत के मध्य था।

- 2009-10 से 2010-11 में निजी राजस्व के विभिन्न मदों जैसे गृह कर में ₹ 22.31 करोड़, परिसम्पत्तियों से राजस्व में ₹ 19.68 करोड़, चुंगी/मार्गस्थ शुल्क में ₹ 28.98 करोड़ एवं विविध गैर-कर राजस्व में ₹ 25.56 करोड़ की गिरावट आई ।

- ननि, कोटा का गैर-कर राजस्व, उपविधियों/अधिनियमों, परिसम्पत्तियों, विविध आवर्ती राजस्व एवं भूमि विक्रय से कम आय प्राप्तियों के कारण 2009-10 में ₹ 11.86 करोड़ से 2010-11 में ₹ 0.85 करोड़ तक, 92.83 प्रतिशत घटा।

- ननि, जयपुर की प्राप्तियां, गृह कर से आय, परिसम्पत्तियों से राजस्व, अधिनियमों से राजस्व एवं विविध आवर्ती आय में कम प्राप्तियों के कारण 2009-10 में ₹ 400.30 करोड़ से 2010-11 में ₹ 369.30 करोड़ तक, 7.74 प्रतिशत घटी।

- नपामं की प्राप्तियां गृह कर से आय, परिसम्पत्तियों से राजस्व, भूमि विक्रय से कम प्राप्तियां तथा विशेष अनुदान, चुंगी की एवज में अनुदान, विशेष सहायता एवं ऋण की कम प्राप्तियों के कारण 2009-10 में ₹ 1,154.68 करोड़ से 2010-11 में ₹ 895.95 करोड़ तक 22.41 प्रतिशत घटी।

- शस्थानि ने 2010-11 में सामान्य एवं विशेष अनुदान वर्ष 2008-09 और 2009-10 की तुलना में कम प्राप्त किया। सामान्य एवं विशेष अनुदान 2010-11 में ₹ 40.87 करोड़ था जबकि यह 2008-09 एवं 2009-10 में क्रमशः ₹ 65.27 करोड़ एवं ₹ 51.91 करोड़ था।

- निदेशालय स्तर पर संधारित एवं संबंधित ननि स्तर पर संधारित ननि के कुछ प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों में अन्तर था (***परिशिष्ट-XIII***) जिन्हें समाशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

3.3.2 व्यय

2006-07 से 2010-11 के दौरान शस्थानि की व्यय की स्थिति नीचे **तालिका 3.3** में दी गई है :

तालिका 3.3 : शस्थानि का व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की मदें	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
(क) आवर्ती व्यय										
(i) सामान्य प्रशासन	160.44	(14.85)	178.54	(13.28)	237.21	(13.08)	324.43	(14.42)	519.03	(28.47)
(ii) जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	316.91	(29.32)	355.25	(26.43)	440.33	(24.28)	623.40	(27.71)	359.19	(19.70)
(iii) नागरिक सुविधाओं का संधारण	117.18	(10.84)	132.51	(9.86)	147.35	(8.12)	230.60	(10.25)	220.89	(12.11)
आवर्ती व्यय का योग (क)	**594.53**	**(55.01)**	**666.30**	**(49.57)**	**824.89**	**(45.48)**	**1,178.43**	**(52.38)**	**1099.11**	**(60.28)**
(ख) अनावर्ती व्यय										
(i) विकासात्मक कार्यों पर व्यय	330.38	(30.57)	538.63	(40.08)	820.58	(45.24)	805.94	(35.82)	408.33	(22.39)
(ii) नवीन परिसम्पितयों का क्रय	7.41	(0.69)	4.29	(0.32)	9.27	(0.51)	11.69	(0.52)	24.03	(1.32)
(iii) ऋणों का पुनर्भुगतान	8.42	(0.78)	13.42	(1.00)	13.69	(0.76)	40.76	(1.81)	85.08	(4.67)
(iv) विविध अनावर्ती व्यय[8]	139.98	(12.95)	121.43	(9.03)	145.32	(8.01)	213.12	(9.47)	206.78	(11.34)
अनावर्ती व्यय का योग (ख)	**486.19**	**(44.99)**	**677.77**	**(50.43)**	**988.86**	**(54.52)**	**1,071.51**	**(47.62)**	**724.22**	**(39.72)**
महायोग (क+ ख)	**1,080.72***		**1,344.07***		**1,813.75**		**2,249.94**		**1,823.33**	

(स्त्रोत : निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अनुसार)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल व्यय से प्रतिशतता दर्शाते है।

* *2006-07 के आंकड़ों में बारहवें वित्त आयोग और तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत जारी अनुदानों और 2007-08 के संबंध में तृतीय राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी अनुदान में से किए गए व्यय सम्मिलित नहीं हैं जैसा कि क्रमशः राज्य सरकार (अप्रैल 2010) एवं मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय, राजस्थान जयपुर (अगस्त 2010) द्वारा सूचित किया गया।*

8. इसमें वापसी या जमा, किए गए विनियोजन एवं ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण सम्मिलित है।

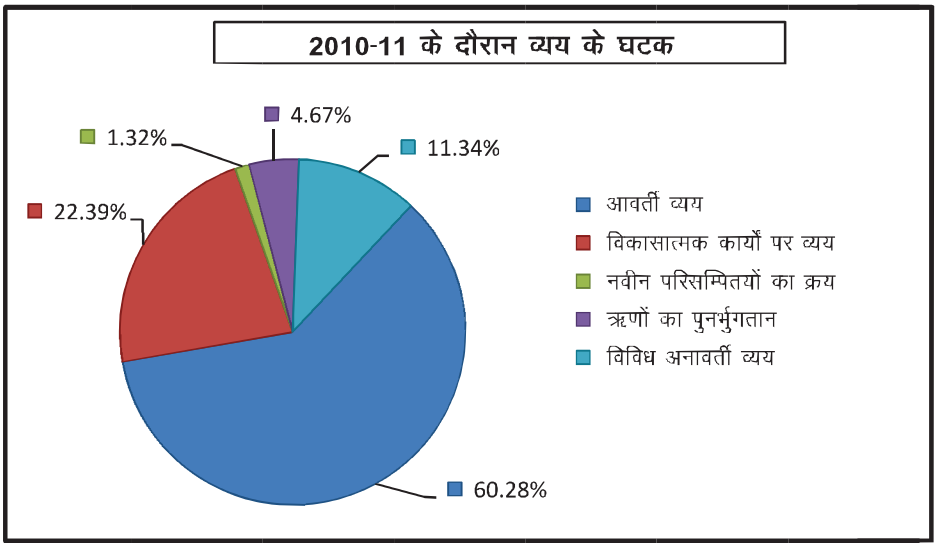

उपर्युक्त वित्तीय प्रवृत्तियां इंगित करती है कि :

- शस्थानि के अनावर्ती व्यय में विकासात्मक कार्यों के व्यय की कमी के कारण 2009-10 में ₹ 1,071.51 करोड़ से 2010-11 मे ₹ 724.22 करोड़ तक 32.41 प्रतिशत की गिरावट हुई।

- मुद्रास्फीति और विभागीय कार्यों में प्रगति के कारण सामान्य प्रशासन पर व्यय, कुल व्यय का 2009-10 में 14.42 प्रतिशत से 2010-11 में 28.47 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

इसी तरह, 2009-10 की तुलना में 2010-11 में चार ननि द्वारा ₹ 48.58 करोड़ (अजमेर : ₹ 5.73 करोड़, बीकानेर : ₹ 2.61 करोड़, जयपुर : ₹ 25.96 करोड़ एवं जोधपुर : ₹ 14.28 करोड़) के ऋणों की अदायगी में वृद्धि के कारण ऋणों के पुनर्भुगतान पर होने वाला व्यय पूर्व वर्षों में कुल व्यय का एक प्रतिशत (2007-08), 0.76 प्रतिशत (2008-09) और 1.81 प्रतिशत (2009-10) से 2010-11 में 4.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- ननि, कोटा का आवर्ती व्यय सामान्य प्रशासन, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर व्यय में वृद्धि के कारण वर्ष 2009-10 से 2010-11 में 6.52 प्रतिशत बढ़ा, जबकि अनावर्ती व्यय में विकासात्मक कार्यों एवं विविध व्यय में कमी के कारण 2009-10 से 2010-11 में 99.51 प्रतिशत की कमी रही।

- 2010-11 में कुल व्यय का सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे प्राथमिक कार्यों पर व्यय, पिछले वर्षों के व्यय 26.43 प्रतिशत (2007-08), 24.28 प्रतिशत (2008-09) एवं 27.71 प्रतिशत (2009-10), से 19.70 प्रतिशत तक कम हुआ। इसी तरह, कुल व्यय का विकास कार्यों पर व्यय, पिछले वर्षों के 40.08 प्रतिशत (2007-08), 45.24 प्रतिशत (2008-09) एवं 35.82 प्रतिशत (2009-10) से 2010-11 में 22.39 प्रतिशत तक कमी आई।

3.3.3 कार्यों का हस्तान्तरण

लेखाधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग ने अवगत (फरवरी 2013) कराया कि बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों में से, जल आपूर्ति और नगर नियोजन के अलावा 16 कार्य (***परिशिष्ट- XIV***) शस्थानि द्वारा निष्पादित किए जा रहे है।

3.3.4 वित्त आयोग अनुदान

3.3.4.1 तेरहवां वित्त आयोग अनुदान

तेरहवें वित्त आयोग की अवधि 2010-11 से 2014-15 तक है। 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के बाद, भारत सरकार ने 2010-11 में (जुलाई 2010 और जनवरी 2011) ₹ 111.36 करोड़ एवं 2011-12 में (जुलाई 2011 से मार्च 2012) ₹ 209.49 करोड़ सामान्य आधारभूत अनुदान, सामान्य निष्पादन अनुदान, विशेष क्षेत्र आधारभूत अनुदान तथा विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान के रूप में जारी किए। हालांकि, निदेशक, स्थानीय निकाय ने अवगत कराया (जनवरी 2013) कि विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान को जारी करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो का पूरा करने के बाद भी 2011-12 के दौरान ₹ 0.09 करोड़ का अनुदान जारी नहीं किया।

वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के लिए 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदानों को जारी करने एवं शस्थानि द्वारा उसके उपयोजन कर स्थिति नीचे **तालिका 3.4** में दी गई है:

तालिका 3.4 : शस्थानि को 13वें वित्त आयोग के अनुदान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला अनुदान	भारत सरकार द्वारा वास्तविक रूप से जारी अनुदान	राज्य सरकार द्वारा शस्थानि को जारी अनुदान	शस्थानि से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र (उप्रप)		बकाया उप्रप	
				राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
2010-11	111.36	111.36	111.36	51.96	46.66	59.40	53.34
2011-12	173.30	209.49	187.56	81.28	43.34	106.28	56.66
योग	**284.66**	**320.85**	**298.92**	**133.24**		**165.68**	

(स्त्रोत : निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अनुसार)

लेखाधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग ने अवगत कराया (फरवरी 2013) कि भारत सरकार ने 2011-12 में ₹ 36.19 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान उन राज्यों की हिस्सेदारी जिन्होंने सामान्य निष्पादन अनुदान की निबन्धन एवं शर्तों को पूरा नहीं किया, के पुनर्वितरण के कारण जारी किया। आगे, 2011-12 में शस्थानि को ₹ 21.93 करोड़ (₹ 209.49 करोड़ - ₹ 187.56 करोड़) कम जारी करने के संबंध में, वित्तीय सलाहकार, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग ने अवगत कराया (जनवरी 2013) कि वर्ष 2011-12 के लिए राज्य के बजट में कम प्रावधान होने के कारण 2011-12 के दौरान जारी नहीं किया जा सका और इस राशि को शस्थानि को 5 अप्रैल 2012 में जारी किया गया था।

आगे, 2010-11 के दौरान यह देखा गया कि ₹ 7.07 करोड़ के अनुदान में से, पांच शस्थानि[9] में, ₹ 1.22 करोड़ उपयुक्त शीर्षों के अलावा अन्य कार्यों में विपथित कर दिए और 31 मार्च 2012 को ₹ 2.70 करोड़ अनुपयोजित पड़े थे।

3.3.4.2 राज्य वित्त आयोग अनुदान

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (राविआ) की अवधि 2010-11 से 2014-15 तक है। चतुर्थ राविआ का गठन 11 अप्रैल 2011 को किया गया था। आयोग ने अंतरिम प्रतिवेदन (जुलाई 2011) में वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए अनन्तिम आधार पर राज्य की शुद्ध निजी कर राजस्व (मनोरंजन कर को छोड़कर) का तीन प्रतिशत स्थानीय निकायों (शहरी और ग्रामीण) को क्रमशः 75.7 : 24.3 (पंरासं : शस्थानि) के अनुपात में अन्तरण के लिए अनुशंसा की और बजट आंकड़े, विभाज्य पूल निर्धारण के लिए अपनाए जाने थे। बजट दस्तावेज के अनुसार, वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए राज्य की शुद्ध निजी कर राजस्व (मनोरंजन कर को छोड़कर) क्रमशः ₹ 18,500.66 करोड़ और ₹ 20,295.14 करोड़ और स्थानीय निकायों को हस्तान्तरणीय राशि वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए क्रमशः ₹ 134.87 करोड़ और ₹ 147.95 करोड़ आता है।

वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान चतुर्थ राविआ के तहत जारी अनुदान एवं उपयोजन की स्थिति नीचे **तालिका 3.5** में दी गई है :

तालिका 3.5 : शस्थानि को चतुर्थ राविआ अनुदान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले अनुदान	राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदान	शस्थानि को जारी अनुदान	जारी अनुदान में कमी (-)/ अधिकता (+)	शस्थानि से प्राप्त उप्रप		बकाया उपप्र	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
2010-11	134.87	132.12	45.00	(-) 87.12	15.60	34.67	29.40	65.33
2011-12	147.95	150.70	237.82	(+) 87.12	11.75	4.94	226.07	95.06
योग	**282.82**	**282.82**	**282.82**	-	**27.35**		**255.47**	

(स्त्रोत : मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार)

मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग ने 2010-11 में अनुदान के कम उपयोजन का कारण वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही में विशिष्ट प्रयोजन जैसे सड़क एवं नालियों की मरम्मत के लिए अनुदान जारी करना तथा 2011-12 में शस्थानि द्वारा अनुदान उपयोजन के लिए विभाग द्वारा देरी से दिशा-निर्देश जारी (अक्टूबर 2011) करना बताया।

9. ननि : जोधपुर (कुल अनुदान - ₹ 2.96 करोड़, विपथित अनुदान - ₹ 0.78 करोड); नप : उदयपुर (कुल अनुदान - ₹ 3.02 करोड, अनुपयोजित अनुदान - ₹ 2.68 करोड); नप : ब्यावर (कुल अनुदान - ₹ 0.43 करोड़, अनुदान विपथित - ₹ 0.25 करोड़); नपामं : मेड़तासिटी (कुल अनुदान- ₹ 0.41 करोड़, अनुदान विपथित - ₹ 0.19 करोड़) एवं नपामं : श्री डूंगरगढ़ (कुल अनुदान - ₹ 0.25 करोड़, अनुपयोजित अनुदान - ₹ 0.02 करोड़)।

3.4 वित्त के डाटाबेस एवं लेखांकन व्यवस्थाएं

• भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (निमलेप) के मार्गदर्शन में शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शस्थानि के लिए विकसित "राष्ट्रीय नगर पालिका लेखा मैन्युअल" फरवरी 2005 में लागू किया गया था। राजस्थान नगर पालिका लेखा मैन्युअल की तर्ज पर राजस्थान नगर पालिका लेखांकन मैन्युअल तैयार किया गया। राज्य सरकार ने दोहरी प्रविष्टि लेखांकन पद्धति में लेखों का संधारण करना तय किया। तद्नुसार, स्वाशावि ने सभी शस्थानि को 1 अप्रैल 2010 से उपार्जन आधारित (दोहरी प्रविष्टि) लेखांकन पद्धति पर लेखा संधारण हेतु निर्देशित किया (दिसम्बर 2009)। तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि कोई भी शस्थानि उपार्जन आधारित लेखे तैयार नहीं कर रहा था।

रानपाअ, 2009 के साथ पठित राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम, 1955, के अनुसार स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को शस्थानि के वार्षिक लेखों को प्रमाणित करने है। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने अवगत कराया (जनवरी 2013) कि उसने, अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को लेखों की सत्यता प्रमाणित करने के लिए निर्देश (सितम्बर 2012) जारी कर दिए। यह इंगित करता है कि लेखे निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित नहीं थे।

• शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 13$^{वें}$ वित्त आयोग द्वारा निर्धारित, शस्थानि द्वारा अपनाए जाने वाले डाटाबेस के प्रारूप जारी किए (अप्रैल 2011)। मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग ने सूचित किया (जून 2011 एवं अगस्त 2012), कि निर्धारित डाटाबेस प्रारूप राज्य के सभी 184 शस्थानि को अग्रेषित कर दिए गए है तथा डाटाबेस के संबंध में सूचनाए संग्रहित की जा रही हैं।

3.5 निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की बकाया लेखापरीक्षा

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, शस्थानि के लेखों की लेखापरीक्षा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक है। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा अवगत कराया (अगस्त 2012), कि 184 शस्थानि में से, 84 शस्थानि (चार ननि[10], 11 नप[11], एवं 69 नपामं) की 2007-08 से 2010-11 अवधि की लेखापरीक्षा स्टॉफ की कमी एवं स्टॉफ को चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने के कारण 31 मई 2012 तक बकाया थी।

3.6 लेखापरीक्षा व्यवस्था तथा निमलेप को टीजीएस सौंपने की स्थिति

निमलेप (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के तहत, निमलेप शस्थानि की लेखापरीक्षा करता है। रानपाअ, 2009 की 2011 मे संशोधित धारा 99(क), नगर पालिकाओं के लेखों की लेखापरीक्षा निमलेप द्वारा किए जाने का प्रावधान करता है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा

10. ननि : (2007-11) अजमेर एवं बीकानेर, (2008-11) जयपुर एवं कोटा।
11. नप : (2007-11) चूरू, हनुमानगढ़ एवं टोंक, (2008-11) ब्यावर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, पाली, सीकर एवं श्रीगंगानगर, (2010-11) भरतपुर एवं उदयपुर।

शस्थानि के लेखापरीक्षा पर तकनीक मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण निमलेप को सौंप (फ़रवरी 2011) दिया।

3.7 लेखापरीक्षा आक्षेपों के प्रत्युत्तर का अभाव

लेखापरीक्षा आक्षेपों के शीघ्र निपटान के लिए, लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाए जाने और/अथवा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से बताए जाने पर कमियों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए विभागीय प्रशासनिक अधिकारियों को शीघ्र प्रयास करने थे।

यह देखा गया कि :

3.7.1 मई 2012 के अन्त तक, निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा जारी 5,027 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 57,967 अनुच्छेद निपटान हेतु लम्बित थे। लेखापरीक्षा टिप्पणियों में सम्मिलित ₹ 1.49 करोड़ मौद्रिक राशि के 234 बकाया (मार्च 2012 तक) गबन के प्रकरण निपटान हेतु लम्बित थे।

3.7.2 इसी प्रकार, मई 2012 तक कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा) द्वारा शस्थानि को जारी 1,045 निरीक्षण प्रतिवेदनों के, ₹ 4,338.86 करोड़ की मौद्रिक राशि के 10,151 अनुच्छेद शस्थानि/विभाग की संतोषजनक अनुपालना के अभाव में मई 2012 तक समायोजन के लिए लम्बित थे। इसके अलावा 230 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 2,770 अनुच्छेदों की प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन भी प्रेषित नहीं की गई (मई 2012)। बकाया अनुच्छेदों की वर्ष-वार स्थिति नीचे **तालिका 3.6** में दी गई है :

तालिका 3.6 : शस्थानि के बकाया अनुच्छेद

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया			बकाया प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन	
	निरीक्षण प्रतिवेदन[12]	अनुच्छेद	मौद्रिक मूल्य		
2003-04 तक	76	471	241.92	-	-
2004-05	129	1,229	570.97	-	-
2005-06	183	1,583	528.03	1	112
2006-07	192	1,842	573.02	1	142
2007-08	141	1,495	296.97	17	174
2008-09	150	1,508	269.54	74	873
2009-10	92	1,046	657.36	51	97
2010-11	41	545	705.98	33	801
2011-12	41	432	495.07	53	571
योग	**1,045**	**10,151**	**4,338.86**	**230**	**2,770**

12. इनमें सचिव, स्वाशावि, निदेशक, स्थानीय निकाय और उप निदेशक (क्षेत्रीय) के निरीक्षण प्रतिवेदन शामिल है जबिक इन विभागों/कार्यालयों के निरीक्षण प्रतिवेदन पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल-स्थानीय निकाय) 2008-10 में शामिल नहीं थे।

इसने नगरपालिका/विभागीय प्राधिकारियों के त्वरित प्रत्युत्तर देने के अभाव को इंगित किया जिसके परिणामस्वरूप न केवल पूर्व में बताई गई कमियों एवं चूकों की पुनरावर्ती हुई बल्कि शस्थानि/विभागीय अधिकारियों की जवाबदेयता में भी ह्रास हुआ। लेखापरीक्षा समिति की केवल एक बैठक 7 दिसम्बर 2010 को आयोजित की गई थी, परन्तु किसी भी अनुच्छेद पर विचार-विमर्श और निस्तारित नहीं किया था।

3.8 लेखापरीक्षा का प्रभाव

2010-12 के दौरान, निमलेप की लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर 20 प्रकरणों में ₹ 27.43 लाख की वसूली की गई।

3.9 निष्कर्ष

- शस्थानि के निजी संसाधन पर्याप्त नहीं थे और वे केन्द्र/राज्य सरकार से अनुदान और ऋण पर काफी हद तक निर्भर थे।

- शस्थानि की प्राप्तियों में 2009-10 तक बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी गई, लेकिन 2010-11 के दौरान मुख्य रूप से गृह कर, परिसम्पत्तियों और विविध गैर-कर राजस्व की कम वसूली के कारण कमी आई। विकास कार्यों पर व्यय 2010-11 में पिछले वर्षों से घटा।

- निर्धारित प्रारूपों में लेखों को समय पर अंतिम रूप देने और इनकी शीघ्र लेखापरीक्षा के अभाव के परिणामस्वरूप हितधारक सूचनाओं से वंचित रहे।

- अधिक मात्रा में लेखापरीक्षा आक्षेपों के बकाया रहने तथा उनके निपटान में विलम्ब से लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई अनियमितताओं/कमियों की निरन्तरता की जोखिम अन्तर्निहित है।